

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 230/2024

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. कृष्ण सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया
2. परमजीत कौर पत्नी स्व. बाबु सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर
3. सुनिता रानी पुत्री स्व. बाबु सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर
4. रमनदीप सिंह पुत्र स्व. बाबु सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर
5. अमनदीप सिंह पुत्र स्व. बाबु सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र संतोष सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
2. गुडडी रानी पुत्री संतोष सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
3. भागवती पुत्री संतोष सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
4. लक्ष्मी पुत्री संतोष सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
5. कृष्ण सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
6. जगदीर सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
7. वीरो पुत्री सोहन सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
8. रानी पुत्री सोहन सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
9. सतिन्दर कौर पत्नी स्व.कृष्ण सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
10. गुरमीत सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
11. जगमीत सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
12. जसवीर सिंह पुत्र भान सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली
13. नक्षत्र सिंह पुत्र शेर सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
14. बुटा सिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली
15. मुख्तार सिंह पुत्र शिवजी सिंह जाति अराई निवासी मानकसर
16. हरवंश सिंह पुत्र शिवजी सिंह जाति अराई निवासी मानकसर
17. राज सिंह पुत्र भान सिंह जाति नाई निवासी मानकसर
18. पंजाब नेशनल बैंक शाख नगराना
19. स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा सतीपुरा
20. स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा लीलावाली
21. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 2-2-2024

अह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई  
रुबरु हमारे वकील श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री दीपेन्द्र आखंड वकील  
प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एब तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव मुसाविक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 6 एनजीआर

1. नक्षत्र सिंह पुत्र शेर सिंह जाति नाई सा.मानकसर (फौत)

प.न.	मु.न.	किला नं.
160/220	32	22/0.253
160/221	36	2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.खाला, 9/1/0.06325 (उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम)
160/222	57	3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 7/0.253, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु.रास्ता

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

2. कृष्ण सिंह पुत्र बरयाम सिंह, बाबूसिंह पुत्र बरयाम सिंह सा.मानकसर (फौत) बहिब जाति अराई सा.मानकसर

प.न.	मु.न.	किला नं.
160/221	36	1/1/0.059, 1/3/0.007 गै.मु.खाला 20/1/0.083, 21/0.253
160/222	57	1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 10/0.253, 11/0.253, 20/0.253,

3. कृष्ण सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति नाई सा.मानकसर (फौत)

प.न.	मु.न.	किला नं.
160/220	32	21/0.253
160/221	36	9/2/0.18975, 12/0.253
160/222	57	16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 17/0.253, 18/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.रास्ता

4. जसवीर सिंह, राजसिंह पि.भान सिंह जाति नाई सा.लढाना तह.पीलीबंगा बहिब


प.न.	मु.न.	किला नं.
159/222	58	5/0.253, 6/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 14/0.253, 17/0.253

5. बुढासिंह पुत्र छोटा सिंह जाति जटसिख सा.लीलावाली

प.न.	मु.न.	किला नं.
159/221	35	25/0.253
159/222	58	7/0.253,

6. मुख्त्यार सिंह, हरबंस सिंह पि. शिवजी बहिब जाति अराई सा.मानकसर

प.न.	मु.न.	किला नं.
161/222	56	20/0.253, 21/0.253




अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंभा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/5253 दिनांक 29.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारो के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज......मुब्लिक......बाबत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक......को अदा करें।

वसूत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...2-2-2024...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

  
 (जय कौशिक)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
 संगरिया